न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी (S.D.O.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण सं. 54/2019

प्रार्थीगण - 1. उस्मान पुत्र अनेखां जाति मुसलमान
2 बाबुखां पुत्र हमीरखां जाति मुसलमान
3 साबुखां पुत्र हमीरखां जाति मुसलमान
4. हबीबबक्ष पुत्र हमीरखां जाति मुसलमान सभी निवासी ताण्ड़ाबेरा, धारणा तहसील सिवाना

बनाम

विप्रार्थीगण- 1. उम्मेदसिंह पुत्र रणछोड़सिंह जाति राजपुरोहित
2. श्रीमती सौरभकंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ताण्ड़ाबेरा, धारणा तहसील सिवाना
3. मैनेजर, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिवाना
4 राजस्थान राज्य जरीये भुमिधारक तहसीलदार सिवाना

निर्णय

दिनांकः 26'03'2021

उपस्थित :-

श्री कैलाश पुरी गोस्वामी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से

श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता विप्रार्थीगण की ओर से

प्रार्थीगण ने वर्तमान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.ए. इस आशय का पेश किया कि, प्रार्थीगण अपने खोतदारी खेत में आने जाने हेतु नया रास्ता बनाने की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु स्थान सरहद मौजा ताण्ड़ावेरा पटवार क्षैत्र धारणा तहसील सिवाना के खातेदारी खेत खसरा सं. 788 रकबा 81.07 बीघा के लिये खसरा सं. 897/ 804 रकबा 3.8445 हैक्टयर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क डी से ई लाल रंग अनुसार रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे, इस हेतु माफिक आदेशानुसार क्षतिपुर्ति की राशि देने हेतु तैयार है, उक्त रास्ता प्रार्थीगण के आवागनम हेतु सुगम व नजदीकी रास्ता है। प्रकरण प्रस्तुत होने पर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, विप्रार्थी सं. 01 व 02 की और से अधिवक्ता ने जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि " प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे 40 वर्षो से रास्ते का उपयोग उपभोग करना गलत दर्शाया है, विप्रार्थी सं. 01 व 02 की उक्त भूमि पर कभी भी आवागमन नही रहा, विप्रार्थीगण की उक्त भूमि कृषी भूमि है, जिस पर फसल बोई हुई है, जो मौके पर खड़ी है, प्रार्थीगण ने जिस जगह परिशिष्ट अ में मार्क डी से ई में रास्ता चाहा गया है, वहा पर रिहायसीय पक्का घर बना हुआ है, जिसमें रहवारा है, तथा शेष भुमि पर दाडम की फसल खड़ी है, मौके पर प्रार्थीगण का आवागमन शुरू से आज दिन तक खेत खसरा सं. 778, 784, 776, 967/785, 966/785, 787 में से रहा व है, जिसे मौका फर्द रिपोर्ट में मार्क जी से एच दर्शाया गया है, उक्त तथ्यो को प्रार्थीगण ने छिपाया है [illegible] के वाद पत्र के रंजिश वंश उपरोक्त प्रकरण दर्ज करवाया है, प्रार्थीगण [illegible] रास्ता सार्वजनिक कटाण के रास्ते से नही मिलता है, तथा विप्रार्थीगण के खेत के दो [illegible] हो जायेंगे, प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

न्यायालय द्वारा भूमिधारक तहसीलदार सि[illegible] से प्रश्नगत भूमि के मौके [illegible]ात्मक रिपोर्ट तलब की, जिस पर तहसीलदार सिवाना ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर रिपोर्ट में दर्शाया कि "प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता ग्राम ताण्ड़ावेरा से सरियादेवी नगर को जाने वाली डामर सड़क जो खसरा सं. 894/804 व 897/804 की पश्चिमी माठ पर चल रही है, से खसरा सं. 897/804 में से होते हुए प्रार्थी के खसरा सं. 788 तक रास्ता मांगा गया है, उक्त डामर सड़क राजस्व रेकर्ड़ में कटाण दर्ज नही है, प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर बंद

...2..

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:11 IST
Reason: SelfAttested

जो मौका फर्द के संलग्न बिन्दु ए से वी अंकित है, जिसकी लम्बाई 162 गटटा है, तथा विप्रार्थीगण के आवासीय मकान के पास होकर मांगा गया है, जिसमें अनार की फसल बोई हुई है, प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य विकल्प के रूप में बताया रास्ते पर ही आवागमन करते थे ।

तहसीलदार सिवाना से रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी, पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात, एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा द्वारा प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन व अध्ययन किया, बाद गौर चुकि प्रार्थीगण भूमि खेत खसरा सं. 788 का रेकर्डेड सहखातदेार है, और उक्त भूमि में कृषि उपयोग लेने का कथन किया है, मौके पर उक्त खेत के लगता कोई कटाण का रास्ता नही है, तथा प्रार्थी द्वारा खसरा सं. 897 / 804 रकवा 3.8445 हैक्टयर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में वर्णित मार्क डी से ई लाल रंग अनुसार रास्ता घोषित कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता ग्राम ताण्डावेरा से सरियादेवी नगर को जाने वाली डामर सड़क जो खसरा सं. 894 / 804 व 897 / 804 की पश्चिमी माठ पर चल रही है, से खसरा सं. 897 / 804 में से होते हुए प्रार्थी के खसरा सं. 788 तक रास्ता मांगा गया है, उक्त डामर सड़क राजस्व रेकर्ड में कटाण दर्ज नही है, प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर बंद है, जो मौका फर्द के संलग्न बिन्दु ए से बी अंकित है, जिसकी लम्बाई 162 गटटा है, तथा विप्रार्थीगण के आवासीय मकान के पास होकर मांगा गया है, जिसमें अनार की फसल बोई हुई है, प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य विकल्प के रूप में मार्क सी.डी.ई.ए व जी. टू एच. एंव आई. टू जे. मार्को से बताया, रास्ते पर ही आवागमन करना दर्शाया है, ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये अनुसार रास्ता देना उचित प्रतीत नही होता है, चुंकि तहसीलदार सिवाना एवं विप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा दर्शाये अनुसार मार्क सी.डी.ई.एफ अनुसार रास्ता देना पक्षकारान् की सुविधा एवं मौके पर स्थित रहवास एवं ढाणीयां के मध्येनजर रखते हुए प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रास्ता देना उचित प्रतीत होता है, यही मंशा धारा 251 ए. आर.टी.ए की रही है। मौका फर्द में मार्क सी.डी.ई.एफ. अनुसार भूमि खसरा सं. 805, 806 व 894 / 804 में से होते हुए प्रार्थीगण के सह खातेदारी की भूमि खसरा सं. 788 तक प्रस्तावित रास्ता बताया है, जिसमें प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 242 गट्टा व चौडाई 2 गट्टा हैं, उक्त ग्राम की डीएलसी दर 94743 / – रूपये प्रतिबीघा है, रास्ते हेतु उपयोग आने वाली भूमि की डीएलसी दर की दोगुनी राशि मार्क सी.डी.ई.एफ. के खसरा सं.805 806 व खसरा सं. 894 / 804 के खातेदार प्रार्थीगण से प्राप्त करने के अधिकारी है, जो राशि खसरा सं.805 806 व 893 / 804 के खातेदार अपने हिस्से की भूमि के अनुपातिक हिस्सा अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी होगे, उक्त डी.एल.सी. दर से दुगुनी राशि प्रार्थीगण खसरा सं.805 806, 893 / 804 के खातेदार द्वारा नहीं ने की सुरत में तहसीलदार सिवाना के कार्यालय में जमा करावे, जो अपने हिस्से की भूमि रास्ते हेतु जितनी उपयोग ली हैं, के आनुपातिक हिस्सा अनुसार प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251ए आर.टी.ए स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार सिवाना द्वारा पेश मौका फर्द के सलग्न परिशिष्ट में वर्णित मार्क सी.डी.ई.एफ. अनुसार भूमि खसरा सं. 805 806 व 894 / 804 में से 242 गट्टा लम्बा व 2 गट्टा चौडाई का रास्ता घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा व खतौनी में अमल दरामद प्रार्थीगण द्वारा राशि अदा करने या जमा कराने के बाद रास्ते हेतु घोषित रकवा सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें ओर मूल रकवे में से उक्त रकवा कम किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 12:02:11 IST
Reason: SelfAttested

(कुंसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.),
सिवाना

निर्णय आज खुले न्यायालय में तारीख 26'03'2021 को सुनाया गया ।

(कुंसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.),
सिवाना